



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14082021-229001
CG-DL-E-14082021-229001

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 329]
No. 329]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 13, 2021/श्रावण 22, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 13, 2021/SRAVANA 22, 1943

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2021

सं. एन-12/13/01/2019-यो.एवं वि.— कर्मचारी राज्य बीमा निगम 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का 01.07.2020 से 30.06.2021 तक की अवधि के लिए विस्तार, भारत का राजपत्र, (असाधारण), भाग III-खण्ड-4 (क्रम सं. 436), दिनांक 16.10.2020 में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से दिनांक 24.03.2020 से 31.12.2020 तक की अवधि के दौरान राहत की दर में वृद्धि तथा पात्रता शर्तों में शिथिलता के साथ किया गया। योजना के अंतर्गत राहत के लिए शपथपत्र प्रपत्र में दावा करने हेतु शिथिलता, भारत का राजपत्र, (असाधारण), भाग III-खण्ड-4 (क्रम सं. 15), दिनांक 11.01.2021 में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से प्रदान की गई। दिनांक 01.01.2021 से 30.06.2021 तक की अवधि के लिए पात्रता शर्तें तथा अन्य शर्तों में शिथिलता बाद में भारत का राजपत्र (असाधारण), भाग III, खण्ड-4 (क्रम सं. 146), दिनांक 06.04.2021 के माध्यम से प्रदान की गई।

अब यह निर्णय किया गया है कि भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग III-खण्ड-4 (क्रम संख्या 436), दिनांक 16.10.2020 और क्रम संख्या-15, दिनांक 11.01.2021 में अधिसूचित अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को शिथिल पात्रता शर्तों और राहत की दर में वृद्धि के साथ दिनांक 01.07.2021 से 30.06.2022 तक की अवधि के लिए विस्तारित किया जा जाए।

अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर, इसके संबंध में किसी भी व्यक्ति से कोई आपत्ति अथवा सुझाव प्राप्त होने पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा विचार किया जाएगा। आपत्तियाँ अथवा सुझाव, यदि कोई हों, तो उन्हें श्री एस.बिस्वास, बीमा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, सीआइजी मार्ग, नई दिल्ली 110002 (ईमेल पता : dir-pnd@esic.nic.in) को संबोधित किया जाए।

एस. बिस्वास, बीमा आयुक्त

[विज्ञापन-III/4/असा./195/2021-22]

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2021

No. N-12/13/01/2019-P&D.—In exercise of the powers conferred upon it under sub-section (1) of section 97 of the Employees' State Insurance Act 1948 (34 of 1948), the Employees' State Insurance Corporation had extended Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana for a period 01.07.2020 to 30.06.2021 along with enhancement of rate of relief and relaxation in the eligibility conditions during the period 24.03.2020 to 31.12.2020 vide notification published in the Gazette of India, (Extraordinary), Part III – Section - 4 (Sl. No 436) dated 16.10.2020. Relaxation in filing claim for relief under the scheme in affidavit form was granted vide notification published in Gazette of India, (Extraordinary), Part III – Section - 4 (Sl. No. 15) dated 11.01.2021. Relaxation in eligibility conditions and other conditions were later extended for the period 01.01.2021 to 30.06.2021 vide notification published in the Gazette of India, (Extraordinary), Part III - Section - 4 (Sl. No. 146) dated 06.04.2021.

Now it has been decided to extend the Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana for the period 01.07.2021 to 30.06.2022 with the relaxed eligibility conditions and enhanced rate of relief notified in the Gazette of India, (Extraordinary), Part III - Section - 4 (Sl. No. 436) dated 16.10.2020 and Sl. No. 15 dated 11.01.2021.

Any objection or suggestions, which may be received from any person in respect of notification within a period of thirty (30) days from the date of publication, will be considered by the Employees' State Insurance Corporation. The objections and suggestions, if any, may be addressed to Shri S Biswas, Insurance Commissioner, Employees' State Insurance Corporation, Panchdeep Bhawan, CIG Marg, New Delhi 110002 (e-mail Id: dir-pnd@esic.nic.in).

S. BISWAS, Insurance Commissioner

[ADVT.-III/4/Exty./195/2021-22]